मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XV | अंक 12 | जून 2020

विषयवस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1
II.	वित्तीय समावेशन	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV.	सरकार का बैंकर	4
V.	आरबीआई केंद्रीय बोर्ड बैठक	4
VI.	एफ़एसडीसी उप-समिति बैठक	4
VII.	एफ़एसडीसी उप-समिति बैठक	4
VIII.	डाटा प्रकाशन	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा मई महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcirrbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में प्रशासन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 जून 2020 को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में प्रशासन' पर एक चर्चा पत्र जारी किया जिसका उद्देश्य घरेलू वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में सतर्क रहते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मौजूदा विनियामक ढांचे को संरेखित करना है। तदनुसार, चर्चा पत्र की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

i. निदेशक मंडल को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाना:
   ए. संगठन की संस्कृति और मूल्य निर्धारण;
   बी. हितों की पहचान और टकराव प्रबंधन;
   सी. जोखिम प्रवृत्ति का निर्धारण और प्रवृत्ति के भीतर जोखिम प्रबंधन;
   डी. वरिष्ठ प्रबंधन में पर्यवेक्षी निरीक्षण में सुधार;
ii. विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से आश्वासन कार्यों को सशक्त बनाना;
iii. बोर्ड और प्रबंधन के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से विभाजित करना; तथा
iv. प्रबंधन और स्वामित्व में अलगाव को प्रोत्साहित करना ।

हितधारकों से प्रतिक्रिया प्रोत्साहित करने के लिए चर्चा पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है। तदनुसार चर्चा पत्र पर सुझाव और प्रतिक्रिया 15 जुलाई 2020 तक ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) पर लागू विनियमनों में प्रस्तावित परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 17 जून 2020 को अपनी वेबसाइट पर आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) पर लागू विनियमनों में प्रस्तावित परिवर्तन सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए। रिज़र्व बैंक ने उक्त की समीक्षा कर ली है और एचएफ़सी के लिए निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं:

i) एचएफ़सी के लिए मुख्य व्यवसाय और अर्हक परिसंपत्ति को परिभाषित किया जाए;
ii) 'आवास वित्त'या 'आवास के लिए वित्त प्रदान करना' वाक्यांश को परिभाषित किया जाए;
iii) एचएफ़सी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (₹ 500 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति वाले) और गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (₹ 500 करोड़ से कम के परिसंपत्ति वाले) के रूप में वर्गीकृत किया जाए; और
iv) एनबीएफ़सी के लिए चलनिधि जोखिम ढांचे एवं एलसीआर, प्रतिभूतिकरण इत्यादि पर रिज़र्व बैंक के निदेश एचएफ़सी के लिए लागू किए जाएं।

रिज़र्व बैंक अंतिम दिशानिर्देश जारी करने से पहले विचार हेतु मसौदा ढांचे पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करता है। एचएफ़सी, बाजार प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों के फीडबैक 15 जुलाई 2020 तक भेजी जा सकती हैं। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

ईसीएलजीएस के तहत क्रेडिट सुविधाओं पर जोखिम भार

रिज़र्व बैंक ने 21 जून 2020 को सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को सलाह दी कि वे सुनिश्चित करें कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत दी गई ऋण सुविधाओं पर

गारंटी कवरेज की सीमा तक शून्य प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाए। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा गारंटीकृत योजना के तहत विस्तारित ऋण सुविधाएं भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई बिना शर्त और अविकल्पी गारंटी द्वारा समर्थित होती है। एनसीजीटीसी ने 23 मई 2020 को एमएसएमई उधारकर्ताओं को गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित ईसीएलजीएस से संबंधित एक परिपत्र जारी किया है। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर सोर्स किया गया लोन

रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2020 को दोहराया कि बैंक और एनबीएफसी, चाहे वे अपने डिजिटल ऋण मंच के माध्यम से या एक आउटसोर्स ऋण मंच के माध्यम से उधार दें, उन्हें पत्र और भावना में सर्वोत्तम प्रथाओं कोड दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्हें वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विनियामक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी से यह भी कहा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि बैंकों/एनबीएफसी द्वारा की जाने वाली किसी भी गतिविधि से उनके दायित्वों में कमी नहीं आती है, क्योंकि नियामक निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है। जहां भी बैंक और एनबीएफसी डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को अपने एजेंट के रूप में ऋण उधारकर्ताओं और/या बकाया वसूलने के लिए कार्यरत हैं, उन्हें निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना चाहिए:

i) एजेंट के रूप में नियुक्त डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों के नाम बैंकों/एनबीएफसी की वेबसाइट पर बताए जाएं।

ii) एजेंटों के रूप में नियुक्त डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को निर्देश दिया जाए कि वे ग्राहक को अग्रिम खुलासा करें कि किस बैंक/एनबीएफसी की ओर से वे उसके साथ बातचीत कर रहे हैं।

iii) स्वीकृति के तुरंत बाद, लेकिन ऋण समझौते के निष्पादन से पहले, संबंधित बैंक/एनबीएफसी के लेटर हेड पर उधारकर्ता को स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

iv) ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक प्रति के साथ ऋण समझौते की एक प्रति ऋण की स्वीकृति/वितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को प्रस्तुत की जाए।

v) बैंकों/एनबीएफसी द्वारा लगाए गए डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों का प्रभावी रूप से अवलोकन और निगरानी सुनिश्चित की जाए।

vi) शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाएं। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का रखरखाव

रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2020 को कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपेक्षा और परिणामी स्थिति बने रहने के कारण रिपोर्टिंग करने में बैंकों को हो रही कठिनाई को देखते हुए, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात 80 प्रतिशत बनाए रखने की अपेक्षा को और तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात 25 सितंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, न्यूनतम दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखने की अपेक्षा को निर्धारित सीआरआर के 90 प्रतिशत से घटाकर 80 प्रतिशत किया गया, जो 28 मार्च 2020 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से 26 जून 2020 तक प्रभावी रहा। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) बनाए रखना

रिज़र्व बैंक ने 26 जून 2020 को समीक्षा के उपरांत निर्णय लिया कि 30 सितंबर 2020 तक एमएसएफ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा निर्धारित एसएलआर को कम करके बढ़ाई जाए। 27 मार्च 2020 के विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एमएसएफ योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों की उधार सीमा, निर्धारित एसएलआर को कम करते हुए, दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में उनके निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत तक बढ़ाई गई थी और यह छूट 30 जून 2020 तक उपलब्ध कराई गई थी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व दिशानिर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना पर आंतरिक कार्य समूह (आईडबल्यूजी) का गठन

रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2020 को भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व और कॉर्पोरेट संरचना पर वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया। आंतरिक कार्य समूह स्वामित्व और नियंत्रण, प्रमोटरों के अधिकार, विलयन की आवश्यकता, नियंत्रण और मतदान के अधिकार आदि से संबंधित वर्तमान लाइसेंसिंग और विनियामक दिशानिर्देशों की जांच और समीक्षा करेगा। डॉ. प्रसन्न कुमार मोहंती, निदेशक, रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड; प्रो. सचिन चतुर्वेदी, निदेशक, रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड; श्रीमती लिली वडेरा, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक; श्री एस. सी. मुर्मू, कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के सदस्य हैं। श्री श्रीमोहन यादव, मुख्य महाप्रबंधक, रिज़र्व बैंक संयोजक हैं। समिति अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 2020 तक प्रस्तुत करेगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. वित्तीय समावेशन

लघु अवधि के ऋण के लिए आईएस और पीआरआई

रिज़र्व बैंक ने 04 जून 2020 को अधिसूचित किया कि भारत सरकार ने किसानों को 31 अगस्त 2020 तक विस्तारित पुनर्भुगतान की अवधि या पुनर्भुगतान की तारीख जो भी पहले हो के लिए दो प्रतिशत ब्याज अनुदान (आईएस) और तीन प्रतिशत प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव (पीआरआई) की उपलब्धता जारी रखने का फैसला किया है। यह लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) के लिए सभी अल्पावधि ऋणों पर प्रति किसान ₹ 3 लाख रुपए (एएचडीएफ किसानों के लिए ₹ 2 लाख रुपए तक) तक लागू होगा। इससे पहले, कोविड-19 महामारी के प्रसार के

कारण लॉकडाउन के विस्तार और लगातार व्यवधान को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को 31 अगस्त 2020 तक ऋण पर रोक लगाने की अनुमति दी थी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

चुनिंदा भुगतान प्रणालियों के दैनिक आंकड़े

रिज़र्व बैंक ने 4 जून 2020 से अपनी वेबसाइट पर चुनिंदा भुगतान प्रणालियों के दैनिक आंकड़े प्रकाशित करना आरंभ किया। इस आंकड़े में भारतीय रिज़र्व बैंक (एनईएफटी तथा आरटीजीएस) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एईपीएस, सीटीएस, आइएमपीएस, एनएसीएच और यूपीआई) द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में किए गए लेनदेन की मात्रा और मूल्य के साथ ही एटीएम और बीसी के माध्यम से नकद लेनदेन की स्थिति भी शामिल है। पूरे दिन के दौरान किए गए लेनदेन से संबंधित आंकड़ों को अगले कार्य दिवस पर प्रकाशित किया जाता है। दैनिक रिपोर्टिंग प्रणाली के शुरू होने के बाद कार्ड से संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए समय का बढ़ाया जाना

रिज़र्व बैंक ने 04 जून 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी- प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई-एमडी) के जारी करने और संचालन पर मास्टर निदेश, कार्ड लेन-देन की सुरक्षा बढ़ाने, टर्न अराउंड टाइम का हार्मोनाइजेशन, प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग कर के किए जाने वाले लेनदेन के विफल होने पर ग्राहक को क्षतिपूर्ति संबंधी मास्टर निदेश और भुगतान संकलनकर्ता (एग्रीगेटर्स) और भुगतान गेटवे के विनियमन संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों के अनुपालन के लिए समय-सीमा बढ़ाई। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एफ़एमआई एवं आरपी के लिए निरीक्षण (ओवेर्साइट) रूपरेखा

रिज़र्व बैंक ने 13 जून 2020 को अपनी वेबसाइट पर वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं (एफएमआई) और खुदरा भुगतान प्रणालियों (आरपीएस) के लिए निरीक्षण रूपरेखा प्रकाशित की। रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-2021 में की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप, एफएमआई और आरपीएस के लिए इस निरीक्षण फ्रेमवर्क दस्तावेज को भुगतान प्रणाली संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी रूपरेखा के साथ-साथ पिछले दस्तावेज के समय उत्पन्न पर्यवेक्षी विचारों को शामिल करते हुए अद्यतन किया जा रहा है। इसमें रिज़र्व बैंक के निरीक्षण उद्देश्यों और पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के साथ-साथ पीएफएमआई के तहत एफएमआई और सिस्टम व्यापक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (एसडबल्यूवाइपीएस) की मूल्यांकन पद्धति के विवरण भी दिए गए हैं। संपूर्ण दस्तावेज़ पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिजिटल लेनदेनों का सुरक्षित उपयोग

रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2020 को सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डिजिटल लेनदेन करते समय आम जनता को निम्नलिखित सावधानियां बरतने हेतु सूचित किया:

i) अपने एटीएम / कार्ड (डेबिट / क्रेडिट / प्रीपेड) का विवरण किसी के साथ साझा ना करें;

ii) अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई-पिन आदि साझा ना करें;

iii) सार्वजनिक, खुले या मुफ्त वाईफ़ाई-नेटवर्क के माध्यम से बैंकिंग या अन्य वित्तीय लेन-देन करने से बचे; और

iv) मोबाइल, ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या पर्स में महत्वपूर्ण बैंकिंग डेटा स्टोर ना करें।

रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ताओं से हमेशा यह भी याद रखने का आग्रह किया कि बैंक और अन्य भुगतान प्रणाली ऑपरेटर कभी भी पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी नंबर जैसे विवरण नहीं मांगते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों के बढ़ते मामले

रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2020 को सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणाली परिचालकों और प्रतिभागियों को सूचित किया कि वे अन्य माध्यमों के साथ-साथ एसएमएस, प्रिंट और विज़्यूअल मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से लक्षित बहु-भाषी अभियानों द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के सावधानीपूर्वक और सुरक्षित उपयोग के लिए शिक्षित करें। रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह अपने ई-बात कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाने और डिजिटल भुगतान माध्यम के सुरक्षित उपयोग के लिए अभियान आयोजित कर रहा है, ताकि पिन और ओटीपी पासवर्ड जैसी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचा जा सके। इन पहलों के बावजूद, धोखाधड़ी की घटनाएं डिजिटल उपयोगकर्ताओं को सता रही हैं, जिसमें अक्सर एक ही कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है जैसे,

उन्हें महत्वपूर्ण भुगतान जानकारी का खुलासा करने के लिए लालच देना, सिम कार्ड स्वैप करना, संदेशों और मेल में प्राप्त लिंक खोलना, जिसके बारे में उपयोगकर्ताओं को सावधान किया जाता है। ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें उपयोगकर्ता जाली ऐप्स डाउनलोड कर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं, जो उपकरणों में संग्रहीत महत्वपूर्ण जानकारी तक एक्सेस कर लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी भुगतान प्रणाली परिचालक और भागीदार-बैंक और गैर-बैंक-डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों को सुदृढ़ करना जारी रखें। अधिक पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंकर

अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड (एफ़आरएसबी) 2020 पर परिचालन दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2020 को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 29 की उप-धारा (2) और इसमें इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) पर विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी किए। इस योजना के अंतर्गत जारी किए जाने वाले बॉण्ड, धारक के क्रेडिट में बॉण्ड लेजर खाता (बीएलए) नामक खाते में प्रतिधारित किए जाते हैं जो प्राप्तकर्ता कार्यालय (क्षे का) के साथ खोले गए हैं और उन्हें इन बॉण्डों को जारी करने और सर्विसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अधिकृत क्षेत्रीय कार्यालयों को इन बॉण्डों को जारी और सर्विसिंग करते समय इन निर्देशों का पालन करना होगा। विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश यहां क्लिक करके पढ़े जा सकते हैं।

V. भारतीय रिज़र्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड बैठक

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बोर्ड की 583 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। गवर्नर और उप गवर्नरों ने बोर्ड को समग्र समष्टि आर्थिक स्थितियों - दोनों घरेलू और वैश्विक; वित्तीय क्षेत्र की स्थिति; और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न मौद्रिक, विनियामक और अन्य उपायों के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी से उत्पन्न उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। बोर्ड ने (जुलाई 2019-जून 2020) अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक की गतिविधियां, अगले लेखा वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 के लिए बजट (सरकार के वित्तीय वर्ष के अनुसार), अन्य नीति और परिचालन संबंधी मामलों पर भी चर्चा की। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VI. एफएसडीसी उप-समिति की बैठक

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति की 24 वीं बैठक 18 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। उप-समिति ने वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाली प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा की। उप-समिति ने फिनटेक (आईआरटीजी-फिनटेक) और वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) 2020-2025 पर एक अंतर नियामक तकनीकी समूह की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में भी चर्चा की। इसने दिवालियापन एवं धन शोधनअक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली के तहत स्थिति और गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया। कुल मिलाकर, प्रचलित असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, उप समिति ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि:

i) प्रत्येक प्रतिभागी नियामक और मंत्रालय उभरती चुनौतियों के प्रति सजग और सतर्क रहेंगे;
ii) औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, साथ ही सामूहिक रूप से और संपर्क में रहेंगे; और
(iii) अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह करेंगे।

अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम पर नकली ईमेल

रिज़र्व बैंक ने 1 जून 2020 को कहा है कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से कुछ जाली संस्थाएं / जालसाज रिज़र्व बैंक के मेल का नकल कर रहे हैं। ऐसे अधिकांश मेल फर्जी डोमेन का उपयोग करके भेजे जाते हैं, जो भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन इनमें भ्रामक समानता हो सकती हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ RBI, RESERVEBANK, PAYMENT, आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि आरबीआई का सही मेल डोमेन "rbi.org.in" है और रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के मेल पते "abc@rbi.org.in" प्रकार के हैं। अतः आम जनता के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस तरह की जालसाजीपूर्ण गतिविधियों का संज्ञान लेने तथा उन पर कार्रवाई करने से पहले सतर्क रहें।

VIII. डेटा प्रकाशन

रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2020 के महीने में महत्वपूर्ण डेटा प्रकाशित किया गया:

	डेटा प्रकाशित
1	2019-20 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत
2	वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन में गतिविधियां
3	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), मार्च 2020
4	अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई), Q4: 2019-20
5	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों का वित्त 2018-19

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू https://mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।